उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मंत्री जी ने तो बयान दे ही दिया है।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): मै चाहता हूं कि जो शास्त्री जी ने मामला उठाया है गंभीरता के साथ कि वहां के जो हिंदी शिक्षक हैं ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, उनको केवल इस बात के लिए निकाल दिया गया उस स्कूल से कि वे अपने बच्चों को जो हिन्दी पढ़ते हैं, उनको यह कहते थे कि तुमको हिंदी का व्यवहार करना चाहिए। जब कि सरकारी स्कूल है, सरकारी रोज़गार समाचार समाचार में विज्ञापन जो निकला, उसके अनुसार 16 अप्रैल, 1954 को उनकी नियुक्ति हुई। उनके प्रति कोई दूसरा अपराध नहीं है। केवल उनका अपराध यह है कि जिस विषय के वे प्राध्यापक हैं या अध्यापक हैं, उस विषय को वे पढ़ा रहे हैं और जिन लड़कों को वे वह विषय पढ़ा रहे हैं, उसमें तुम हमसे बातचीत करो, वे यह कहते हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से यह मांग करता हूं कि जांच का कार्य तो आप अवश्य करें लेकिन साथ-साथ ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी को हटाया गया, इसके लिए उनको सरकार को तुरंत बहाल करना चाहिए।

अंतिम बात माननीया मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा षड़यंत्र चल रहा है भारतीय भाषाओं के खिलाफ। कोई हमारी भाषा चाहे वह असमी हो, मणिपुरी हो या दूसरी भाषाएं हैं जो विकसित नहीं हो रही हैं, वहां आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी स्कूलों, अंग्रेज़ी पढ़ाई, रोमन लिपि का प्रचार-प्रसार हो, इसके लिए करोड़ों, अरबों रुपए कहां से खर्च किए जा रहे है, किसी को पता नहीं चल रहा है। वहां अभी भी पचासों ऐसी छोटी-मोटी बोलियां हैं जिनकी स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है और जब तक किसी बोली के पास अपनी लिपि नहीं हो, भाषा का रूप वह ग्रहण नहीं कर सकती है। वहां से यह मांग आई थी बहुत दिन पहले कि देवनागरी लिपि का हम व्यवहार करना चाहते हैं इनके लिए। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय इसके लिए भी जांच कराएं, प्रयास कराएं और निश्चित रूप से इसे गंभीरता से सरकार ले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव: महोदया, एक मिनट मैं ..... **(व्यवधान).....**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): महोदया, इस ईश्यू के साथ हम अपने आपको जोड़ना चाहते हैं और उस अध्यापक को तुरंत वहां पर लगाया जाए, वापस भेजा जाए जिन्हें नौकरी से निकाला गया है, यह कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम, श्री शंकर दयाल सिंह जी ने और श्री विष्णु कान्त शास्त्री जी ने जिस विषय की ओर सरकार का और गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और इसका पूरा समर्थन करता हूं। गृह मंत्री जी ने कहा कि जांच कराई जाएगी, मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि दो आश्वासन और दीजिए कि जांच कराई जाएगी, बात तो सही है लेकिन अगर जांच में से तथ्य सही पाए गए तो उस अध्यापक को तुरंत रीईस्टेट किया जाएगा और जिसने उन बच्चों को दंडित किया है हिन्दी बोलने के लिए, उसको भी दिया जाएगा, मैं इस तरह का भी गृह मंत्री जी से आश्वासन चाहता था और शास्त्री जी की और श्री शंकर दयाल सिंह जी की बातों का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री इकबाल सिंह (पंजाब): मैडम, मैं भी विष्णु कान्त शास्त्री जी के साथ और शंकर सिंह जी के साथ जैसे ईश दत्त यादव जी ने कहा है, भारत की जो आज़ादी की भाषा है, जिससे देश आज़ाद हुआ है, वह हिंदी भाषा है जो कि लिंक्ड भाषा थी। भारत की कितनी भाषाएं हैं ?

चाहे वह पंजाबी है, चाहे वह कन्नड़ है, चाहे वह हिन्दी है और चाहे वह कोई और भाषा है इनकी जो एक लिंक भाषा है वह हिन्दी है। जैसा विष्णु कान्त शास्त्री जी ने बताया कि बच्चों को यह कहा जा रहा है कि वे हिन्दी नहीं बोल सकते तो यह हमारे पूरे देश के लिए एक शर्मनाक घटना है। मैं यह चाहता हूं कि जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने सदन को विश्वास दिलाया कि इसकी इंक्वायरी करायेंगे तो इंक्वारी तो करानी ही चाहिए और उसके बाद इसको पूरी तरह से लागू करना चाहिए जिससे कभी भी ऐसा न लगे कि अपने देश की भाषा को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। इतना ही मैं कहता हूं।

RE. SLOW PROGRESS IN THE PROBE INTO THE ASSASSIANTION OF SHRI RAJIV GANHDI

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) उपसभाध्यक्ष महोदया, श्री राजीव गांधी जी की हत्या की साजिश की जांच के लिए जैन कमीशन का गठन 23 जून, 1991 को हुआ था जिसे इस सदन में सारी राजनीतिक पार्टियों के हमारे साथियों ने राजनीति से ऊपर उठकर इसका समर्थन किया था। उस जैन कमीशन का सातवीं बार एक्सटेंशन हुआ है और उसकी अवधि भी 31 अगस्त, 1995 है जो बहुत नजदीक है लेकिन अभी तक जैन कमीशन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। बल्कि इसके विपरीत कमीशन के चेयरमैन की बराबर यदाकदा यह टिप्पणी आती रही कि

कमीशन को जो वांछित जानकारियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए थीं, जो कमीशन को दस्तावेज प्रस्तुत कराये जाने चाहिए थे वे दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, वे जानकारियां उन्हें प्रदान नहीं कराई जा रही है। सरकार की तरफ से उसको पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है। मैं नहीं जानता किन लोगों के हितों की रक्षा के लिए यह सब किया जा रहा है। लेकिन इस सब की पराकाष्ठा तब हो गई, इसकी अति तब हो गई जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से कल अमेठी में हुई जन सभा में अपनी वेदना व्यक्त कर दी और कहा कि मेरी वेदना आप समझ सकते हैं। मेरे स्वर्गीय पति के शहीद होने के चार साल तीन महीने के बाद भी उनकी हत्या की जांच धीमी गति से चल रही है।

महोदया, इस सदन में माननीय सदस्यों ने बारम्बार इस मसले को उठाया है और कहा है कि जैन कमीशन को पर्याप्त सहयोग मिलना चाहिए। जैन कमीशन ने कई बार उन डाकुमेंट्स को प्रस्तुत करने के लिए कहा जिनका उल्लेख 28 अक्तूबर, 1993 को स्वयं एआईसीसी ने अपने लैटर में कहा था। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि आज की तारीख तक एआईसीसी के लैटर में जिन बिन्दुओं का उल्लेख था और एआईसीसी का खुद का रेजोलूशन था कि जैन कमीशन को पर्याप्त सहयोग प्रदान किया जायेगा, उस सब के बावजूद आज की तारीख तक वे सारे दस्तावेज जैन कमीशन को उपलब्ध नहीं कराये गये। मेरे पास एआईसीसी का पत्र भी है जिनमें इन सब बातों का उल्लेख किया गया था। लेकिन जो रिप्लाई जैन कमीशन को भेजा गया उसमें कुछ के बारे में यह कह दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में यह इन्फरमेशन उपलब्ध नहीं है और कुछ में कह दिया गया कि एब्सोल्यूट प्रिविलेज डाकुमेंट्स है। 23 जनवरी, 95 को ग्रुप आफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई। उस सेक्रेटरीज की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि चाहे जो भी एब्सोल्यूट प्रिविलेज्ड डाकुमेंट्स हों वे स्ट्रिस जैन को अगर कांफिडेंस में बताने पड़ेगा तो वह बता देंगे लेकिन आज की तारीख तक वे सारे डाकुमेंट्स जस्टिस जैन को उपलब्ध नहीं कराये गये।

इसके अलावा मुस्ताक अहमद की तरफ से एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में 2-5-94 को दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जैन कमीशन की प्रोसीडिंग जो है वह रोक दी जानी चाहिए जब तक दिल्ली हाई कोर्ट में जो पेटीशन है 1544/94 उसका फैसला नहीं हो जाता। उससे आगे सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट अनिल नाग ने एक एप्लीकेशन 25-6-94 को जैन कमीशन के सामने प्रस्तुत की। उसमें यह कहा गया कि याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई है जिसमें कहा गया है जैन कमीशन की प्रोसीडिंग को डैफर कर दिया जाना चाहिए जब तक कि दिल्ली हाई कोर्ट का पैटीशन है जो मुस्ताक अहमद द्वारा 1544/94 दायर किया गया है इसका डिस्पोजल न हो जाए। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का हमेशा रवैया रहा है जिस बारे में कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया और इस सदन में मैंने भी 17-8-94 को इस मसले को उठाया था।

इसके अलावा हमने इस बात पर भी चिंता जाहिर की थी कि आखिर क्या वजह है जो 10 फरवरी, 1994 को सरकार को कैबिनेट के सामने यह बात लानी पड़ी कि जैन कमीशन को वाइंड अप करना चाहिए। ये सारी बातें, ये सारे घटनाक्रम ऐसे घटे, जिससे हम सब लोगों को बहुत आघात पहुंचा। जैसा मैंने कहा इसकी पराकाष्ठा तब हुई जब बारम्बार जैन कमीशन को सेंन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई.बी, रा और सी.बी.आई. के आफिसरों की तरफ से, जो आर्गुमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट ने दिए तो उसमें जो तारीखें लीं, कभी कहा कि 6 वीक का समय दिया जाए, कभी कहा कि 12 वीक का समय दिया जाए। मेरे पास तारीखें हैं 16-17 फरवरी 1994 का जैन कमीशन ने कहा कि वीक के अंदर आप ये सारे डाकुमेंट जमा कर दीजिए और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट ने स्वीकार भी किया। लेकिन 16-17 फरवरी, 1994 को बीते कई दिन हो गए, अब सातवीं बार एक्सटेंशन का पीरियड जैन कमीशन का खत्म होने को आ रहा है और अभी तक ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि क्योंकि मि॰ पी. चिदम्बरम को राजीव गांधी के असेसिनेशन को कोआर्डिनेट करने के लिए एक नोटिफिकेशन के द्वारा अधिकृत किया गया है, इसलिए सरकार की तरफ से मि॰ पी. चिदम्बरम को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर में ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हुईं, आखिर क्या वजह है जिसके कारण श्रीमती सोनिया गांधी को जस्टिस जैन की टिप्पणी के बाद स्वयं इस प्रकार की व्यस्था, इस प्रकार की वेदना व्यक्त करनी पड़ी। यह हम सब लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि अभी तक जो होता था वह हम सब लोगों तक सीमित था, हम सब लोग इस बात पर शंका करते थे कि आखिर किन लोगों की रक्षा, किन लोगों के प्राटेक्शन के लिए, किन लोगों की मदद के लिए ये सारे डाकुमेंट छिपाये जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 20, 21, 22 मार्च को जो मेसेज इन्टरसेप्ट हुए-जाफना से मैसेज का जिसमें यह कहा गया था कि राजीव गांधी की हत्या मद्रास में की जाय या दिल्ली में की जाय, हमारी जो विदेश की एजेंसी है उसने मैसेसेज इंटरसेप्ट करके दिए थे। वह डाकुमेंट्स जैन कमीशन को

नहीं दिए गए। जब इंडिया टुडे में वह डाकुमेंट प्रकाशित हुआ तो बमुश्किल इस चीज को स्वीकार किया गया कि हां, इस प्रकार की सूचना हम लोगों की दी थी। जनवरी से मार्च 91 के बीच जो इन्टरसेप्टेड मैसेज थे, जो 15 देशों से हमारे देश को राजीव की हत्या के संबंध में सूचना आयी थी, उसके संबंध में जो डाकुमेंट्स की बात कही थी, वह अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए। आखिर क्या वजह है जो इन सारे डाकुमेंट्स को छिपाया जा रहा है? जब हमको दूसरी एजेंसियों की तरफ से इस तरह की सूचना मिल जाती है और जब उन आफिसरों से यह पूछताछ की जाती है तब बड़ी मुश्किल से वे इसे स्वीकार करते हैं। महोदया, एक गंभीर तथ्य की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकारी वकील मि. दत्ता ने जैन कमीशन के सामने स्वीकार किया था कि 27, 28 और 29 तारीख को सी.बी.आई. के चीफ, आई. बी. के चीफ खुद मौजूद होंगे। यह मि. दत्ता जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट थे, उन्होंने स्वीकार किया था और कहा कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये आफिसर जैन कमीशन के सामने उपस्थित होकर सारी इंटेलीजेंस रिपोर्ट, जो समय समय पर विदेशों से जो रिपोर्ट इन्टरसेप्ट डीकोटेड मैसेज हुई थी, उसकी सूचना दे देंगे। हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से इस चीज को बड़े दुख के साथ उजागर करना चाहता हूं कि उस एडवोकेट के स्थान पर मि. तुलसी को इस बात के लिए कहा गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर हों। मि. तुलसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट के रूप में जैन कमीशन के सामने उपस्थिति हुए और उन्होंने इस बात पर आपत्ति की जब कि एफिडेविट दे दिया गया था कि आई.बी. के चीफ, रा के चीफ और सी.बी.आई. के चीफ स्वयं जैन कमीशन के सामने उपस्थित होंगे। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनवरी से मई 91 के बीच आई.बी., रा की रिपोर्ट दी गई लेकिन बीच की कई रिपोर्ट गायब रही। फरवरी, मार्च, अप्रैल 91 को उस समय क्या सूचना थी, यह किश्तों में दी गई, कई जगह फ्लूड लगाकर उसको बदला गया। ये जो सारी बातें हैं, ये हमारे मन में शंका पैदा करती है। सारा देश राजीव गांधी की हत्या से बहुत शोकाकुल था। वे केवल हिन्दुस्तान के ही नहीं, विश्व के नेता थे। चुनाव के दौरान-हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत मशहूर है। चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के समय उनकी निर्मम हत्या की गई थी। इसलिए हर आदमी इस बात के लिए आकुल-व्याकुल है कि आखिर वे कौन से लोग थे जिन्होंने उनके नेता की हत्या की साजिश की। वे कौन से लोग थे जो उनकी हत्या में डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली शामिल हैं। एस.आई.टी. का गठन 24.5.91 को किया गया। इस बीच में खुद हमको देखने को मिला, हमें सुनने को मिला कि उनकी हत्या का प्रमुख अभियुक्त सन्मुगम जो था वह हवालात से भाग गया और संदेहास्पद परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। ये सारी स्थितियां बीच में निर्मित हुई हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि ये सारी चीजें स्पष्ट हों। महोदया, कई बार समाचार-पत्रों में प्रकाशित होता है..... 2.00 P.M.

जो सिख एक्सट्रिमिस्ट थे, उन्होंने भी इस प्रकार की राजीव गांधी की हत्या की योजना लंदन में खालिस्तान मूवमेंट में जो शुमार थे उन्होंने उनकी हत्या की साजिश की योजना बनाई थी। उसके संबंध में जो पेपर्ज़ थे, ब्रिटिश हाई कमिशन को मिस्टर मेसन ने सूचना दी थी जो बाद में इंडियन हाई कमिशन को सूचित किया गया। जब यह इंडियन हाई कमिशन के हवाले से दस्तावेज़ मंगाया गया जो समय पर दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया। दूसरी एजेंसीज़ के माध्यम से उस चीज़ की पुष्टी हुई है। तो यह सारी बातें हैं। तीन मास से ऊपर हो गये है जैन कमिशन का जो सिक्युरिटी एडवाइज़र तय होना चाहिये था, वह अभी तक नहीं हो गया। मैं आभारी हूं गृह मंत्री जी का कि कल उन्होंने जैन कमिशन के काऊंसल का जिसने पहले रिज़ाइन कर दिया था, उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। हम इसके लिए गृह मंत्री जी को धन्यवाद देते है कि अब जैन कमिशन का काऊंसल नियुक्त करने के बाद को सकता है कुछ सहयोग मिले। लेकिन आज सारा राष्ट्र इस बात की ओर दृष्टि डाले हुए है कि आखिर क्या वजह है कि जो महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली ऐसी सूचनाएं हैं, जिससे राजीव गांधी की हत्या की साजिश उजागर हो सके उन सारे ब्यौरों को, उन सारे दस्तावेज़ों को और उन सारी जानकारियों को समय पर जैन कमिशन के सामने और उन सारे जांच दलों के सामने अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। इसलिए महोदया, मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस संबंध में मिस्टर चिदम्बरम् अपना एक वक्तव्य दें कि आखिर क्या वजह है कि न केवल जस्टिस जैन को इस संबंध में सार्वजनिक वक्तव्य देना पड़ रहा है बल्कि श्रीमती सोनिया गांधी को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी। यह बहुत गम्भीर बात है और इसको गम्भीरता से लेना चाहिये और सरकार को स्पष्ट रूप से वक्तव्य सामने आना चाहिये। पिछले समय जब हमारा सदन बैठा था जो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि उस दिन प्रभाकरन के बारे में वक्तव्य नहीं दिया। दूसरे उस दिन लोक सभा की बैठक थी लेकिन राज्य सभा उठ गई थी तब वक्तव्य दिया। चूंकि राज्य सभा में ऐसी व्यवस्था है कि हम लोग वक्तव्य के बाद

क्लेराफिकैशंस पूछते है, इसलिए हम लोगों को इससे दूर रखा गया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि माननीय गृह मंत्री आज समय बताएं कि मिस्टर चिदम्बरम् कब और किस किस्म का वक्तव्य देंगे ताकि जो हमारे मन में शंकाएं हो रही हैं, हमारे मन में बार बार इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, हमारे मन उदेलित हो रहे हैं कि आखिर वह कौन से तत्व है, कौन से लोग हैं जिनको बचाने के लिए, जिनको संरक्षण देने के लिए, जिनके हितों की रक्षा के लिए जो जानकारियां चाही जा रही हैं विभिन्न जांच दलों के द्वारा, वह जानकारियां और दस्तावेज़ उनको उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। या इनडाइरेक्टली शामिल है।

श्री सतीश अग्रवाल: मैं केवल एक जानकारी चाहता हूं (व्यवधान) मुझे बोलना नहीं है। श्री सुरेश पचौरी जी ने लास्ट टाइम यह मामला उठाया था (व्यवधान)

श्री एस॰एस॰ सुरजेवाला: हम सुरेश पचौरी जी की इस बात से एस्सोसियेट करते है (व्यवधान) हम यह मांग करते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, सरकार को वक्तव्य देना चाहिए (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आप बैठे जाइये। (*Interruptions*). Please sit down. There is a lot of names here. I will call them one by one. फोतेदार जी। (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल: जारकारी मांगी थी सुरेश पचौरी जी ने, यह मामला सदन में उठाया था (व्यवधान)

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: जिनके नाम हैं उनको पहले बुलाया जाए (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल: मै यह जानना चाहता हूं कि पिछली बार जब सुरेश पचौरी जी ने यह मामला सदन में उठाया था (व्यवधान) क्या उसके बाद सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया (व्यवधान)

श्री माखनलाल फोतेदार: कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: मेडम, इसके बाद हमारा नाम है (व्यवधान)

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: मेडम, किन किन के नाम है (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आपका भी नाम है। (व्यवधान) बैठ जाइये (व्यवधान) नाम सब का है (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: आप देखिये, नोटिस यहां समय पर देना पड़ता है। उसमें टाइम दर्ज रहता है और उसी आर्डर में नाम दिया जाता है। डिप्टी चेयरमैन भी नाम अनाऊंस कर चुकी है उसी आर्डर में। हम लोगों ने सुबह साढ़े नौ बजे नोटिस दिया। चैयरमैन ने एडमिट किया, हमें नोटिस मिला है और हम को आप उसी आर्डर में बुलाइये। मेरा आपसे यह निवेदन है।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR (Uttar Pradesh): Madam, before anybody speaks, I would like to take just two minutes. (*Interruptions*). Kindly excuse me. I am not going to speak on the subject.

Madam Vice-Chairperson, Mr. Suresh Pachouri has raised a very important issue. It is of national importance. And he has demanded that the Government should make a Statement. I would like to reserve my right to seek clarifications after the statement is made. But before any other Member intervenes in this and associates himself with what Mr. Suresh Pachouri has said.....

Madam, I would like to submit that today, it is not a matter of allegations or counter allegatins, it is not a matter of politics or politicking. I would request all the hon. Members of the House, from all shades and from all sides, that it is a human issue, and let us transcerd our political carriers and sympathise with Shrimati Sonia Gandhi about the anguish and the concern she was compelled and constrained to express publicly in Amethi yesterday, that the Government during the last four years and three months, has delayed in unravelling the real culprits and the conspirators behind the assassination. Let us all joint our voice with her and this House should direct the Government that the Government should very transparently, and in an expeditious way, enquire into the matter to find out the real culprits and bring them to book immediately. I would like to say these words and hope, all sections of this House will join with me in this regard in directing the Government to do this. Madam, I would request you to ask those Members to raise their hands who agree to my proposal.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): It's all right.

Now, Shri Satya Prakash Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, जो व्यथा श्रीमती सोनिया गांधी की है, जो व्यथा राहुल गांधी की है और जो दुख दर्द, व्यथा श्री सुरेश पचौरी जी ने भी व्यक्त की और प्रियंका जो वहां मौजूद थीं, उनकी थी, वह व्यथा न केवल मेरी है बल्कि सारे राष्ट्र की व्यथा है क्योंकि सारा राष्ट्र यह जानना

चाहता हूं कि भारत के पूर्व प्रधान मंत्री और भारत के उस वक्त के विपक्ष के नेता श्री राजीव गांधी की जो बर्बर हत्या हुई, वे हत्यारे कौन है और उन हत्यारों को सजा कब और कैसे मिलेगी। सवा चार साल हो गए है माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, और अभी जक जांच का काम चल रहा है। पिछले सत्र में भी पहली या दूसरी जून को जब बजट सत्र समाप्त हो रहा था हम लोगों के इस विषय को उठाने पर श्री चिदम्बरम ने यहां पर एक बयान दिया था और उस विषय के उठने के ठीक एक दिन पूर्व श्री चिदम्बरम साहब को इसके जांच कार्य के सिलसिले में, राजीव गांधी की हत्या के सिलसिले में जो जांच कार्य हो रहा था जो जैन आयोग था उसका इंचार्ज बनाया गया था।

कल जो कुछ वहां पर श्रीमती सोनिया गांधी ने अपनी व्यथा व्यक्त की जिसको अभी सुरेश पचौरी ने यहां पर पढ़ा, मैं समझता हूं कि उसको यहां पर दोहराना भी जरूर है क्योंकि उन्होंने आधा वाक्य पढ़ा था, शायद पूरा उनके पास था नहीं क्योंकि शायद समाचार पत्र उनके पास नहीं रहा होगा। तो उन्होंने यही कहा कि मेरी वेदना आप इसी से समझ सकते हैं कि मेरे स्वर्गीय पति के शहीद होने के चार साल तीन महीने के बाद भी उनकी हत्या की जांच बहुत धीमी गति से चल रही है। फिर आगे उन्होंने कहा कि जिन वसूलों के लिए राजीव गांधी ने जान दी थी आज उन्हीं का इम्तिहान लिया जा रहा है। जब उन्होंने यह कहा उस समय इसी सदन के एक पूर्व मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर श्री वहां पर उपस्थित थे। वे इस सदन के सदस्य है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को सोनिया गांधी का स्पष्ट संवेदनापूर्ण संदेश मिल गया है। यही नहीं जब एक केन्द्रीय मंत्री भी पहां उपस्थित थे जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है, श्री सतीश शर्मा, जो वहां नारा लगा-सोनिया हम शर्मिन्दा हैं।, राजीव के कातिल जिन्दा हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि केन्द्र सरकार को इस संबंध में अपनी जो नीति है उसको बदलना चाहिए।

क्योंकि सवा चार साल पहले राजीव गांधी की हत्या हुई और ठीक उस के एक माह बाद जो आज वर्तमान सरकार केन्द्र की है यही वर्तमान सरकार, अब वर्तमान केन्द्र सरकार इस बात से अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकती है कि जांच कार्य पूरा नहीं हो रहा है इसलिए सजा दिलाने का काम हम कर नहीं सकते। मेरी समझ से आज केन्द्र की सरकार है यह सब से बड़ी अपराधी है, क्रिमिनल है यह सरकार। यह राजीव गांधी के हत्यारों को पकड़ने में और राजीव गांधी के हत्यारों को सजा दिलाने में भी इस सरकार की लापरवाही है।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब सदन के सभी सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुकें तो उसके बाद सरकार की ओर से पूरा इस संबंध में एक वक्तव्य होना चाहिए, दो महीने पहले वक्तव्य हो चुका है, उसके बाद से आज तक जहां तक मेरी जानकारी है जांच कार्य में तनिक भी वृद्धि नहीं हुई। जांच कार्य में एकमात्र भी वृद्धि नहीं हुई है। एक या दो जून को चिदम्बरम् जी का वक्तव्य हुआ था, आज जुलाई बीत गया, अगस्त भी करीब-करीब बीत गया, यह कैसा देश है, यह कैसा लोकतंत्र है, यह कैसा राष्ट्र है, यह कैसी न्याय प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति की हत्या होती है, जो कि इस देश का प्रधान मंत्री था, जो नौजवान था, जो खूबसूरत था और जिसके मन में इस देश के प्रति दर्द था और उन की एक ही चिट्ठी मेरे पास है जिसकी शायद और लोगों को जानकारी नहीं होगी।

दिनांक 4 अप्रैल, 1991 की उनकी चिट्ठी है जिसमें मेरे दोस्त को उन्होंने लिखा था, और इसके सवा महीना बाद श्री राजीव गांधी जी की हत्या हो गई ..... (व्यवधान) यह श्री राजीव गांधी जी का पत्र है।

This is dated April 4, 1991. This was written by Shri Rajiv Gandhi to one Shri Baldev Prasad Gupta from Karvi Banda who is still alive today. He is a freedom fighter and he was in Allahabad Jail with Smt. Indira Gandhi and Shri Feroze Gandhi. I would like to read out only the last four lines. This is Rajiv Gandhi to Mr. Gupta. This is dated April 4, 1991, from 10 Janpath, New Delhi.

"Dear Shri Gupta,

I am confident that with your support and with the support of your friends and colleagues we can form a stable Government at the Centre and....'

the second part is very important-

"....can work hard together to build a strong and progressive India, the India of our dreams."

वह व्यक्ति इस राष्ट्र की उन्नति के लिए सपना सजोए हुए चला गया, लेकिन सवा चार साल हो गया न जांच कार्य पूरा हो पाया और न उसके हत्यारों को सजा मिल पाई। इसलिए सरकार को स्पष्ट रूप से आज पूरा वक्तव्य देना चाहिए।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: उपसभाध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी जी की हत्या एक अत्यन्त जघन्य अपराध था और उसके अपराधियों को अभी तक सजा नहीं मिली है, यह सचमुच में बहुत ही शर्म की बात है और बहुत से सदस्यों ने जिस प्रकार के आरोप लगाए है उससे यह और भी ज्यादा गंभीर विषय बनता है। आखिर क्या बात है और यह वहां पर बार-बार कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को छिपाने कि लिए, कुछ लोगों को बचाने के लिए कार्यवाही

नहीं की जा रही है। वे कौन लोग हैं जिनको बचाने के लिए कार्यवाही नहीं हो रही है और यह मामला इतना धीमा क्यों चल रहा है, यह जरूर हम जानना चाहते हैं? सरकार का इसके संबंध में अपनी पूरी नीति स्पष्ट करनी चाहिए । यह हमारे यहां जो न्याय प्रक्रिया है और जो कमीशंस बनाने की प्रक्रिया है इसके बारे में यह कोई एक ही मामला नहीं है, 1984 में दिल्ली में तीन हजार सिखों की हत्या हुई। ग्यारह साल बीतने के बाद भी एक भी आदमी को उसकी सजा नहीं मिली और एक भी आदमी के ऊपर हाथ नही डाला गया। इसी तरह से बॉम्बे ब्लास्ट केस हुआ, उसी समय में ब्लास्ट केस अमरीका में हुआ। वहां पर उनको सजा भी मिल गई। सौ-सौ, दो-दो सौ साल की सजा हो गई। यहां अभी तक मामला ही चल रहा है, अभी तक मुकदमा ही चल रहा है। यह जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया के बारे में हमें बहुत गंभीतापूर्वक यह सरकार ने इन बातों के बारे में सोचना है । क्यों नहीं फौरन इमीडिएट जल्दी से जल्दी सजा मिलती, इसको विचार करना चाहिए? वह हमारे देश के प्रधान मंत्री थे। हम उनसे सहमत थे या नहीं, यह सवाल इस समय पैदा नहीं होता। यह सवाल भी पैदा नहीं होता कि उनकी नीतियां क्या थीं या क्या नहीं थीं और उनकी नीतियों के बारे में अलग से चर्चा हो सकती है, परन्तु उनकी हत्या करने वाले हत्यारे अभी तक जिंदा हों ओर पकड़े न जाएं और उनके ऊपर कोई कार्यवाही भी न हो.....(व्यवधान) यह इन्वेस्टीगेशन ही अभी कंम्पलीट नही हुई है तो मुकदमा तो बाद में चलेगा। पहले इन्वेस्टीगेशन होगी, जैन कमीशन अपनी रेकमेंडेशन देगा, फिर मुकदमा शुरू होगा। पता नहीं कब तक यह मामला पहुंचेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा कुछ लेना-देना नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर क्या चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की उठा-पटक से हमें कोई लेना-देना नहीं है। हमें कोई लेना-देना नहीं है इस बात से कि कौन सत्ता में आए, कौन न आए, कौन नेतृत्व करे, कौन न करे? मेरा कहना यह है कि हत्या के मुजरिमों के बारे में विचार करने कि बजाय केवल कनॉट प्लेस का नाम बदलें या न बदलें, उन से क्या ताल्लुक है मुजरिमों का उन की हत्या करने से? साइकोफैंसी में और खुशामद करने के मामले में, कोई नाम बदल दो, कोई चौक का नाम रख दो या कोई दूसरी बात दो या आप के अंदर कौन फूल पेश करे और कौन न करे, इसी चक्कर में..... (व्यवधान).....

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: Madam, I just want to mention one thing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Please do not interrupt.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: I want to say just this for information.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA) Please sit down. No. Please sit down.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: I am just telling him this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Please let him finish.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: Hon. Member, I would request you that the matter is so serious that we should not dilute its importance. So far as his reference to the Connaught Place and other things are concerned, I myself feel whether the Government has paid any tribute to Rajiv Gandhi and Indira Gandhi. I feel hurt. Why should we bring their names into controversy and at such a time? Please don't bring the issue. I am concerned about this Government. Why is the Government doing that? But don't bring in that issue now. You bring in only the assassination issue. Don't bring in this issue.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं सिर्फ यह बात कह रहा हूं कि हत्या का मामला एक बिल्कुल दूसरा मामला है और सोनिया गांधी जी ने, हमारे देश के प्रधान मंत्री की विधवा ने बहुत वेदना प्रकट की है और उसके साथ हम अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं, मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि इसको दूसरे मामलों में न उलझाए और कौन ज्यादा खुशामद करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर जो दूसरी बात उन्होंने की कि जिन सिद्धांतों के लिए राजीव गांधी जी खड़े थे देश के अंदर उस विचार का टेस्ट लिया जा रहा है। महोदया, उस पर हम राजनीतिक तौर पर अपनी बात रखेंगे और उसका मुकाबला भी करेंगे क्योंकि हमारे विचार उन से अलग थे। परंतु राजीव गांधी जी के हत्यारों को पकड़ने के सवाल पर सारा देश एकमत है और उसके बारे में होम मिनिस्टर साहब को पूरी कार्यवाही करनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई क्यों जैन कमीशन बार-बार कह रहा है कि मुझे स्टाफ नहीं मिला, मुझे यह नहीं मिला, हमें फैक्ट्स नहीं दिए गए, हमें सारी इनफॉर्मेशन नहीं दी गयी? यह बाते जो बार-बार जैन कमीशन कह रहा है, इस पर आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बारे में आप को देश को कांफीडेंस में लेना चाहिए।

DR. BIPLAB DASGUPTA (WEST BENGAL): Madam, it is rather unfortunate that the widow of a murdered man has to cry in

public for sympathy and also for justice. I am not a sycophant of Rajiv Gandhi. I am his political enemy or I was his political enemy when he was alive. We do not make a beeline for seeking the *darshan* of Sonia Gandhi. But here I am speaking mainly because a grave injustice has been done to the family of Rajiv Gandhi. This murder has taken place four years ago and, unfortunately, nothing has been done so far. Rajiv Gandhi was not an ordinary individual. He was the Prime Minister of the country for several years. He was the Leader of the Opposition when he was killed and was a member of a very influential family of the country. If this is what is happening in the case of Rajiv Gandhi, I wonder what is going to happen in the case of ordinary people who are seeking justice. If the family of Rajiv Gandhi is denied justice, is there any justice in this country? This is the question which comes to my mind. I remember that fateful night four years ago when this gruesome, brutal, murder took place, which shook the conscience of the nation irrespective of the political affiliations of the people. When I looked into the details later, a number of questions came to my mind. It is very mysterious, for example, how the suicide-squad lady could come so close to Rajiv Gandhi. It is not clear. There must have been some conspiracy and somebody from within must have helped her to get so close to the dais. It is also a puzzle to me. There are so many policemen aroud. Maybe, there was not sufficient security. That is a different question. There was sufficient number of policemen around. Some were killed in the blast and others just ran away.

They went into the nearest car, took off their uniform and ran away. There should be a serious inquiry as to how such things happened. What will be the state of the morale of the police force if the people who are made responsible for the security of the most influential man in this country, run away like this? Is there any security in this country? That is the question which comes to our mind. I would like the Congressmen to search their own souls because only a few minutes before he died, everybody was chanting 'Rajiv Gandhi jindabad'. When he was killed and his body was lying in a pool of blood -- his body was torn into pieces -- all the Congressmen ran away. Nobody was there to look after the body, except one lady. The Congressmen should look into this aspect also. It also raises suspicion in our mind. Is there something more to it than meets the eyes. What was the administration doing? Why was this meeting held there? Why were not enough arrangements made? All these questions come to our mind. Was only the LTTE involved in it? We would like to know whether other forces are also involved in it or not. The whole nation is interested in knowing what actually happened. The way the whole thing is being done is a very painful process. It gives us an impression that the Government is not interested, the Government does not want the truth to come out. Whether the Government has something to hide, I do not know. This was a very tragic incident in our country. Sir, this incident and the killing of innocent Sikhs in 1984 are the two major tragic incidents which took place in our country, one in the Capital and the other near Madras. These two incidents, one of an individual and the other of a group of people, have shaken the conscience of the nation. Is it that the Government is not giving these two incidents the priority these deserve? Until and unless the investigation is completed, other processess cannot be unleashed. We do not know when justice will be done. I have full sympathy with the bereaved family. I don't share their political views. It does not matter.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Shrimati Sonia Gandhi has no political views.

DR. BIPLAB DASGUPTA: She may not be having any political views. That is a different question altogether. It is not a political question. Mr. Chidambaram was given this charge with a lot of fanfare and publicity. But, where is he? He is not there in the House. The meeting took place yesterday. Everybody knew that this issue would be raised in Parliament. Where is Mr. Chidambaram? Why is he not in the House? He should have left every other job and should have been in the House to answer our queries. But, he is absent.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: That is why he was given this charge.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Maybe to run away. It is very unfortunate that he is not here to settle our doubts and to give us some specific answers. We would like to know: What has been done? What is being done? Has enough been done or not? I would share the sentiments

expressed by Shri Pachouri, Shri Malaviya and Shri Malhotra. I may not agree with each and every point that they have made. That is a different question. It is a very serious matter. It deserves utmost urgency and seriousness. I hope the Minister of Home Affairs, who is here, will respond to it and will enlighten us as to what the Government is proposing to do in the light of the concern expressed by the Members of the House from different corners of the House. It is not simply the concern of one Member only. The whole House is concerned about it. I would like the Home Minister to respond to it and remove our fear by assuring us that there is no conspiracy to hide the whole thing. Thank you.

उपसभापति (श्रीमती कमला सिन्हा): श्री अहमद पटेल। केवल 6 मिनट का समय रह गया है।

श्री अहमद पटेल (गुजरात): महोदया, मैं केवल दो मिनट लूंगा। सम्मानित सदस्य सुरेश पचौरी जी ने इस सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मसला उठाया है। यह मुद्दा उन्होंने पहली बार नहीं उठाया है, मैं समझता हूं, बार बार उठाया है। आज से पहले दस बार उन्होंने यह मुद्दा इस सदन में उठाया है, अन्य सम्मानित सदस्यों ने भी इस मुद्दे को कई बार इस सदन में उठाया है, लेकिन पराकाष्ठा तो तब हुई कि जब सोनिया जी ने कल अमेठी में सार्वजनिक रूप से यह कहा कि जो इन्क्वायरी हो रही है वह बहुत धीमी गति से हो रही है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही गंभीर बात है, एक बहुत ही गंभीर मसला है। और बार-बार उठाने के बाद भी मैं समझता हूं कि पहले भी बयान दिया गया इस सदन में, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। सात बार जैन कमीशन की अवधि बढ़ा दी गई जैसा कि सम्माननीय सदस्य ने कहा, जो दस्तावेज़ उपलब्ध कराने चाहिए थे, उपलब्ध नहीं कराए गए मैं जानना चाहता हूं कि उसकी वजह क्या है? यह व्यथा, यह दुख, यह चिंता सिर्फ सोनिया जी की नहीं है, सिर्फ राहुल जी की नहीं है, सिर्फ प्रियंका जी की नहीं है या सिर्फ उनके परिवार की नहीं है, मैं समझता हूं कि यह दुख, व्यथा और चिंता हम सबकी है और जैसे माननीय सदस्यों ने यहां पर व्यथा, दुख और चिंता व्यक्त की है।

हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।

राजीव जी की हत्या की गई, उन्होंने अपने आपको इस देश के लिए समर्पित किया, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। मैं समझता हूं कि 4 साल और 3 महीने हो गए, उसके बावजूद भी किसी नतीजे पर हम नहीं आ रहे हैं। तो यह एक बहुत ही गंभीर मसला है और मैं समझता हूं कि यह सारे राष्ट्र का मसला होना चाहिए, हम सबका होना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो मुद्दे सुरेश पचौरी जी और अन्य माननीय सदस्यों ने उठाए हैं, उनके संबंध में विस्तार से इस सदन के सामने बयान दिया जाए और सुरेश पचौरी जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूं और अपने आपको उनसे एसोसिएट करता हूं।

SHRI V. NARAYAMASAMY (PONDICHERRY): Madam, Vice-Chairman, I speak with a heavy heart. The hon. Members have raised the issue that the proceedings of the Jain Commission have been delayed. Our leader, Shri Rajiv Gandhi was killed in tragic circumstances in Tamil Nadu. As a person coming from there I was really ashamed that a person belonging to the Tamil community, who came from Sri Lanka, killed our leader. Madam, it is of serious concern not only to Soniaji and the family members, but also to the people of this country that investigation in the assassination of our leader, who sacrificed his life for the cause of this nation and who was killed in tragic circumstances, is being delayed.

Madam, I had gone and attended the proceedings of the Jain Commission. While witnessing the proceedings, I was unable to bear the remarks made by Justice Jain. The reason was that there was lack of coordination on the part of the Counsels who have been appearing for the Government. Secondly, whether it is the C.B.I., the I.B., the R.A.W, the Home Ministry or the Defence Ministry, so far as the submission of documents before the Jain Commission by the A.I.C.C. is concerned, it took more than one and a half years. The hon. Home Minister should clarify it. They have been claiming total priviledge on certain documents, partial priviledge on certain other documents. I would like to point out that in the Designated Court at Madras, where Rajivji's case is pending trial, all the documents had been submitted in the criminal case. Unfortunately, those documents have not been submitted before the Jain Commission. Therefore, it is a clear case of lack of coordination between various Ministries. That is why it is not expediting the matters.

As far as the Jain Commission is concerned, the wider gamut of conspiracy involving the foreign agencies has to be investigated. The

remarks made by Justice Jain - and these have been appearing in the Press on many occasions - clearly show that there is not only a lack of coordination but there is also a lack of interest on the part of various agencies that are involved in assisting the Jain Commission. It is, therefore, a serious matter, Madam. I request the Home Minister to review the situation and see to it that whatever assistance is required by the Jain Commission is provided to it by the Government so as to enable Justice Jain in coming out with his findings as early as possible.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMAL SINHA): Now, we will be taking up... (*Interruptions*)

SHRI JAGESH DESAI: Madam, I would like to make a submission.....(*Interruptions*).....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): He is on a point of order.....(*Interruptions*)....

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश) : मैडम, जो बातें हाऊस में तय हुई है, क्या उनका पालन किया जाएगा? मैं जानना चाहता हूं कि स्पेशल मैंशन का क्या होगा? आप हाऊस का सैंस ले लीजिए और हाऊस को रात 10 बजे तक चलाइए, हम तैयार हैं, लेकिन आप स्पेशल मैंशन लें। वह 13 दिन से बैठे हुए हैं, वह 9 तारीख से बैठे हुए है।....(व्यवधान) प्राईवेट मैंबर्स बिल बाद में लीलिएगा मैडम, आप व्यवस्था दीजिए कृपा करके कि यहां जो बातें तय होती हैं उनका पालन किया जाए....(व्यवधान) अगर ढाई बजे से प्राईवेट मैंबर्स बिल आता है तो आप देर से लीजिए। लेकिन आप स्पेशल मैंशन को क्यों रोकना चाहते है। मैडम, दो-दो मिनट बोलने दीजिएगा सब को। हम दो-दो मिनट इस पर बोलना चाहते है।....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): बैठिए न, लीडर आफ दि हाऊस बोल रहे हैं, बोलने दीजिए न।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): Madam, a number of issues have been raised in the House and that is why, though I don't directly deal with this---Mr. Chidambaram is looking into the Coordination Committee—but, at the same time, there are two things which I would like to bring to the notice of the House. There is one case in which people against whom investigation was completed and the case is going on in Madras. There are about 150 or more than 150 witnesses who have been examined and every effort is being made by parties to reach the High Court and the Supreme Court in order to delay entire proceedings. There was a time when I had been personally speaking to Mr. Pachouri and also to Mr. Narayanasamy asking them if they were to require any document from the Home Ministry which had to be produced before the Jain Commission, and I told them, "Instead of going to the officers, please come and tell me, I am prepared to supply all the documents that you want." We have submitted those and even the privileged documents also we have shown to the Jain Commission and told him that these were privileged documents, we did not want the name of the family also unnecessarily to be maligned by different countries and that is why I had personally gone to Mrs. Sonia Gandhi, explained to her the entire position, and, thereafter, of course, I cannot say what the other documents are which they want and which Mr. Chidambaram, if he feels that more documents which are with the Home Ministry...

Dr. BIPLAB DASGUPTA: You said that the name of the family would be maligned. What does it mean?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Which family?

PROF. VICE-CHAIRMAN MALHOTRA: Which family?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Let him complete.

SHRI S.B. CHAVAN: When we asked certain privileges in the court, there are certain issues which we cannot divulge, there are international ramifications of those documents and that is why I was saying, first is the case which is being prosecuted. There is a case of prosecutor where the proceedings are going on and the other parties are interested in delaying the matters. There is another case which is of conspiracy, Justice Jain is dealing with the matter which, in fact, involves the conspiracy of other countries and even some persons in the country.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: Some persons in the country who are being protected by the Government.

SHRI S.B. CHAVAN: Yes, some persons in the country and also outside. I won't be surprised if other agencies are also involved in a matter of conspiracy and in a matter of conspiracy there

are certain issues which we have to consider, whether it is worthwhile revealing certain documents, and if we have to do it, whether we will be doing a service to the nation or we will be doing a disservice to the nation. This is the point which we have to keep in mind. That is why we have nothing to hide. Anything, any document which is available, so far as the Home Ministry is concerned—at least Mr. Chidambaram has never told me, "This document is required, please supply this document. "I am prepared to supply.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Why didn't he ask you? Mr. Chidambaram is the Minister of Commerce; you are the Home Minister. Didn't he bother to ask you?

SHRI S.B. CHAVAN: Mr. Chidambaram is looking after these two cases. That is why Mr. Chidambaram made a statement. Even today if you are not satisfied with me, certainly, I will pass on the information to Mr. Chidambaram. If he wants to make any statement, certainly he is most welcome to come here.

DR. BIPLAB DASGUPTA: We want a statement.

SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA: We want a statement, please convey this to him. Let him come to the House.

SHRI BHUBANESHWAR KALITA: The Home Minister was saying that Mr. Chidambaram has not asked for any papers. So, why does Mr. Chidambaram come and make a statement?

DR. BIPLAB DASGUPTA: And also prepare the statement and give it to us. We will have a discussion on the basis of the statement given by Mr. Chidambaram.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Dr. Biplab Dasgupta, please take your seat. (*Interruptions*)....

श्री एस.एस. अहलुवालिया: महोदया, इस मुद्दे पर मैं...(**व्यवधान**)....

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: The hon. Home Minister has made a very important charge against one of his own colleagues, that Mr. Chidambaram has not asked for any documents. We are unhappy that the Home Minister has been divested of this task. We are unhappy that Mr. Chidambaram is not here. It is not a question of the Law Minister or the Home Minister. It is the question of the entire Government which is responsible. Whether it is the Home Minister or the Prime Minister it or any other Minister, whoever is dealing with the case is responsible for this. So, the Prime Minister should come and respond to this because it is a charge against the Government as a whole. The Government must understand this.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: महोदया, इस मुद्दे पर मै भी कुछ कहना चाहता हूं....(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी: महोदया, मेरे नाम का उल्लेख किया गया है इसलिए मैं कुछ थोड़ी क्लेरिफिकेशन्स के लिए और करेक्शन्स के लिए आपकी इजाज़त से कुछ कहना चाहूंगा।...(**व्यवधान**)....क्योंकि मेरे नाम का उल्लेख हुआ है इसलिए मैं कुछ कहना चाहूंगा...(**व्यवधान**)...

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कौन सी फैमिली बदनाम हो जाएगी?...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) : अच्छा, आप बैठिए। आप बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)...

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अगर हमने डॉक्यूमेंट दे दिए तो कौन सी फैमिली बदनाम हो जाएगी और किस डॉक्यूमेंट से बदनाम हो जाएगी? It is very serious, whether it is Rajiv Gandhi's family or any other family.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): प्लीज, आप लोग बैठ तो जाइए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: नहीं, नहीं, यह बहुत सीरियस मामला है।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): ...(**व्यवधान**)...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: यह बड़ा अहम सवाल है जो विजय जी उठा रहे है। होम मिनिस्टर ने कहा कि अगर डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो फैमिली मैलाइन हो जाएगी। दासगुप्ता जी ने भी पूछा, तो कौन सी फैमिली बदनाम हो जाएगी? ...(**व्यवधान**)...मैंने सिंगुलर में कहा है। ...(**व्यवधान**).

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कौन सी फैमिली बदनाम हो जाएगी? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री कमला सिन्हा): कृपया बैठ जाएं. ...(**व्यवधान**)..

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, I am requesting you to direct Mr. Chidambaram to

come to the House and to lay on the Table of the House a statement on the state of the inquiry so that we can get all the facts and on this procedure there will be a proper discussion.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (बिहार): महोदया, मै मांग करता हू सदन के माध्यम से कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर एक व्हाइट-पेपर प्लेस करे और व्हाइट पेपर के माध्यम से हम जान सकें और हम इस सदन के अंदर उस पर बहस कर सकें। ...(व्यवधान)...इसी मुद्दे पर एक व्हाइट-पेपर प्लेस किया जाए जिसमें बताया जाए कि एस.आई.टी. ही चार्जशीट कब फाइल हुई थी और एस. आई.टी. के केस पर जो एल.टी.टी.ई. के लोग मद्रास में बंद हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

महोदया, वर्मा कमीशन की रिपोर्ट प्लेस होने के बाद इस सदन में बहुत बार बहस हुई है और उसमें जिन अफसरों को इंडिक्ट किया गया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और उन पर क्या-क्या ऐक्शन लिए गए है और उसके साथ कनेक्टेड जो-जो लोग थे, जहां-जहां थे, उन पर क्या-क्या कानूनी कार्रवाई की गई है?

महोदया, उसके बाद जैन कमीशन का सात बार ऐक्सटेंशन हो गया है। जैन कमीशन कब तक एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बना कर बताएगा कि वे अपनी रिपोर्ट कब तक पेश कर सकेंगे और उस पर एक व्हाइट पेपर इस सदन में पेश करे जिससे हम लोग जान सकें। ऐसा न हो कि जिस तरह से हमारे नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की हत्या हुई या वे मारे गए ऐक्सीडेंट में या वे जिंदा हैं, आज तक हिंदुस्तान के लोग नहीं जान सके। इसी तरह ऐसा न हो कि राजीव गांधी की हत्या किसने की, कहां की.... (व्यवधान)....हमारे हिंदुस्तान के लोगों को यह हत्या किसने करवाई, इसका पता न लग सके। ऐसा न हो कि हमारे लोग ऐसे ही बैठे रह जाएं और अगर कोई अधिकारी ये सारे कागज़ात जैन कमीशन को नहीं दे रहे हैं तो वे कौन जिम्मेदान और गैर-ज़िम्मेदार लोग हैं जो ये कागज़ नहीं पहुंचा रहे है या विधि-व्यवस्था में कोई अड़चन है जिसके कारण ये काम रुका हुआ है, वह सदन को बताने की कृपा करें।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): कृपा करके आप बैठ जाइये। ढाई बजे से प्राइवेट मैम्बर्स रेजोलूशन का समय तय किया हुआ है.....

श्री ईश दत्त यादव: इसका समय बढ़ा दिया जाए। (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) अब हम प्राइवेट मैम्बर्स रेजोलूशन ले लेते हैं उसके बाद ...(व्यवधान)...

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra) Madam, the time for the Private Members' Business will have to be two and a half hours. There is no doubt about it. But that can start after this is over. That time cannot be curtailed, but that can start after this is over.

(Interruptions)

SHRI PARAG CHALIHA: What about Special mentions?

(Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) वह बाद मे लेंगे।

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): Madam, there are two types of grievances. One grievance is with regard to the Jain Commission. Some clarifications are to be sought, and it can start after 5 O'clock. There are Members who want to raise some Speical Mentions. They too have a grievance, and the Deputy Chairperson has assured the House that they will be taken up after 5 o'clock.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): पांच बजे शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लिस्टेड है ...(व्यवधान)

SHRI SATISH AGARWAL: Naturally, after the Private Members' Business is over, then at 5 o'clock, there is a Short Duration Discussion, and thereafter the Speical Mentions should be taken up.

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मतंग सिंह): उपसभाध्यक्ष महोदया, जो मेरे साथी सांसदों ने राजीव जी के असेसिनेशन का मुद्दा उठाया है तो मैं, प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस के बाद, चिदम्बरम साहब से आग्रह करूंगा कि वह सरकार की तरफ से स्टेटमैंट दें।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) अब हम प्राइवेट मैम्बर्स रेजोलूशन जो लिस्टेड ह॑ उसे ले रहे हैं। (व्यवधान)

SHRI SATISH AGARWAL: Madam Vice-Chairman, there is an important Short Duration Discussion relating to the LIC also.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Now, we take up the Private Member's Resolution Shri Nilotpal Basu.

RESOLUTION RE. NEW TELECOM POLICY

SHRI NILOTPAL BASU (WEST BENGAL): Madam, I beg to move: